



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102022-239757
CG-DL-E-20102022-239757

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4727]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 2022/आश्विन 27, 1944

No. 4727]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022/ASVINA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4939(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 78(अ), तारीख 04 फरवरी 1999 तथा का. आ. 196(अ), तारीख 06 मार्च 2000 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 2 (हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा से कानपुर सेक्शन) के किलोमीटर 93.000 से किलोमीटर 479.000 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 3 के किलोमीटर 8.000 से किलोमीटर 24.000 (आगरा-ग्वालियर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा यांत्रिक वाहनों पर खण्डों के उपयोग के लिए शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए ओएमटी रियायतग्राही को निम्नानुसार प्राधिकृत किया :

अधिसूचना संख्या का. आ. 2723 (ई), दिनांक 17 अगस्त 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा बाइपास के 0+000 किमी से 32+800 किमी तक के खंड के लिए।

और यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार, प्राधिकरण ने दिनांक 26.09.2022 को नेशनल हाइवेस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत 7056 GI/2022

कार्यालय जी-5 और 6, सेक्टर-10, द्वारका, दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, भारत, (जिसे इसमें इसके बाद "रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-2 के किमी 176.800 (बाइपास के डिजाइन किमी 0.000) पर आरंभ होते हुए तथा एनएच-3 के किमी 13.030 (बाइपास के डिजाइन किमी 32.800) पर मिलते हुए आगरा बाईपास सेक्शन किमी 0.000 से किमी 32.800 (लंबाई 32.800 किमी) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त खंड कहा गया है) के टोलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और स्थानांतरण (इनविट मोड) हेतु एक करार (जिसे इसमें इसके बाद उक्त करार कहा गया है) किया है :

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 [सा.का.नि. 838 (ई), तारीख 5.12.2008] के नियम 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010 [सा.का.नि.950(ई), तारीख 3.12.2010], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि.15 (ई)], तारीख 12.1.2011] राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 756 (ई), तारीख 12. 10.2011], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013 [सा.का.नि. 778 (ई), तारीख 16.12.2013], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 26 (ई), तारीख 16.01.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 831 (ई), तारीख 21.11.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 02(ई), तारीख 29.12.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 [सा.का.नि. 220 (ई), तारीख 23.03.2015], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 585 (ई), तारीख 08.06.2016], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 1114(ई), तारीख 02.12.2016] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2017 [सा.का.नि. 248(ई), तारीख 14.03.2017] और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 427(ई), तारीख 07.05.2018] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 920 (ई), तारीख 25.09.2018] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2019 [सा.का.नि. 942 (ई), तारीख 20.12.2019], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 298 (ई), तारीख 15.05.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 523 (ई), तारीख 24.08.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 804 (ई), तारीख 30.12.2020], के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और करार की अंतिम तारीख तक किसी अन्य संशोधनों और अधिसूचना का.आ. 2723 (ई) तारीख 17 अगस्त 2016 का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कर ली गई हैं या करने से लोप करा दी गई हैं, उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर व्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों पर, समकक्ष संरचना लम्बाई 7.055 कि.मी. (जिसमें लंबाई 0.7055 किमी है) हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर तथा चार या अधिक लेन खंडों के उपयोग के लिए दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाले 32.0945 किमी की कुल लंबाई वाले बाईपास के लिए चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर का डेढ़ गुना शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को कार्यारंभ करने की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है। यह शुल्क अधिसूचना टीओटी परियोजना (इनविट मोड) पर कार्यारंभ करने की तारीख से प्रभावी होगी।

तालिका 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65

हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम ^०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे वसूल एवं एकत्र किया जाने वाला शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु देय और भुगतान योग्य होगा अर्थात:—

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी.में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1.	उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में रायभा गांव के निकट डिजाइन कि.मी. 10+800 पर	शून्य	ऊपर तालिका -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, बाइपास, जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	डिजाइन चैनेज (चैनेजो)			बाइपास की लम्बाई(किमी) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है।	दर जिस पर शुल्क संदेय है
	बाइपास का नाम	पर शुरू हो कर	पर मिलते हुए		
उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में रायभा गांव के निकट डिजाइन कि.मी. 10+800 पर	आगरा बाइपास	डिजाइन कि.मी. 0.000	डिजाइन कि.मी. 32.800	32.0945 (60मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर तालिका 1-में उल्लिखित आधार दर का 150%

3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर निम्नलिखित भी देय और भुगतान योग्य होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित संरचना की लम्बाई (कि.मी.में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (कि.मी.में)	दर जिस पर शुल्क देय है
-------------------------------	---	--------------------------------	------------------------

उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में रायभा गांव के निकट डिजाइन कि.मी. 10+800 पर	0.7055*	7.055	ऊपर तालिका 1- में उल्लिखित आधार दरों का 100%
--	---------	-------	---

* विवरण निम्नानुसार है;

क्रम सं.	संरचना का अवस्थान	प्रकार	कुल लंबाई (मीटर में)	
	(पर कि.मी.)	संरचना	एलएचएस	आरएचएस
1	0.000	फ्लाईओवर	100	0
2	0.287	आरओबी	90	90
3	8.954	आरओबी	90	90
4	13.706	आरओबी	90	90
5	31.048	आरओबी	126	126
6	13.49	फ्लाईओवर	60	60
7	28.072	बड़ा पुल	150	150
8	32.8	फ्लाईओवर	99	0
संरचना की कुल लंबाई			805	606
संरचना की औसत लंबाई			705.5	

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	भुगतान के दिनांक से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को एनएच शुल्क नियम 2008 के नियम 10(1ए) में विनिर्दिष्ट के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, प्रयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. ऊपर तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात रियायत करार के प्रावधान एवं उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, बशर्ते कि शुल्क के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई संशोधन प्रभावी नहीं होगा।

[फा. सं. एनएचआई/एचक्यू/इनविट/टोलफी नोटिफिकेशन/22-23/01]]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2022

S.O. 4939(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 78 (E) dated 4th February, 1999 & S.O. 196(E) dated 6th March, 2000 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 93.000 to 479.000 of National Highway number 2 (Haryana/Uttar Pradesh border to Kanpur section) and km 8.000 to km 24.000 (Agra-Gwalior section) of National Highway number 3 respectively in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

Vide S.O.No. 2723(E) dated 17th August, 2016 for the section from km 0+000 to km 32+800 of Agra Bypass in the State of Uttar Pradesh.

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with National Highways Infra Projects Private Limited, having its registered office G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, Delhi, South West Delhi, Delhi, India, 110075 (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), on 26.09.2022 for the Tolling, Operation, Maintenance and Transfer (InvIT mode) of Agra Bypass Section from Km 0.000 to Km 32.800 (length 32.800 Km) taking off at km 176.800 of NH-2 (Design km 0.000 of bypass) and merging at km 13.030 (Design km 32.800 of bypass) of NH-3 in the state of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the said section) of the National Highway;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 [GSR 838 (E) dt. 05.12.2008] read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 [GSR 950(E) 03.12.2010], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 [GSR 15(E) 12.01.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011 [GSR 756 (E) 12.10.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013 [GSR 778(E) 16.12.2013], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment

Rules, 2014 [GSR 26(E) 16.01.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 831(E) 21.11.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 02(E) 29.12.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2015 [GSR 220(E) 23.03.2015], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 585(E) 08.06.2016], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 1114(E) 02.12.2016], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2017 [GSR 248(E) 14.03.2017], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 427(E) 07.05.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 920(E) 25.09.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2019 [GSR 942(E) 20.12.2019], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 298(E) 15.05.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 523(E) 24.08.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 804(E) 30.12.2020], and any other amendments till date of agreement and in supersession of the Notification Number S.O. No. 2723(E) dated 17th August, 2016 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 7.055 km (having length of 0.7055 kms) and one half times the base rates for bypass having net length of 32.0945 km costing rupees ten crore or more for use of four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Appointed Date or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the date of termination as specified in the agreement. This fee notification shall be effective from the Appointed Date of the ToT project (In VIT Mode).

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km* for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for the distance specified for such Fee Plaza :

Sl. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable
1.	At Design Km 10+800 near Raibha village in Agra District of Uttar Pradesh.	Nil	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza ,for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Design Chainages			Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which Name of fee is payable
	Name of Bypass	Taking off at	Merging at		
At Design Km 10+800 near Raibha village in Agra District of Uttar Pradesh.	Agra Bypass	Design km 0.000	Design km 32.800	32.0945 (Excluding length of structures >60m length)	150% of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which Fee is payable
At Design Km 10+800 near Raibha village in Agra District of Uttar Pradesh.	0.7055*	7.055	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

*The detail is as under:

Sl. No	Location of Structure	Type	Total Length (in Meter)	
	(at km)	Structure	LHS	RHS
1	0.000	Flyover	100	0
1	0.287	ROB	90	90
2	8.954	ROB	90	90
3	13.706	ROB	90	90
4	31.048	ROB	126	126
5	13.49	Flyover	60	60
6	28.072	Major Bridge	150	150
7	32.8	Flyover	99	0
Total length of structure			805	606
Average length of structure			705.5	

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 315.00 (Rupees Three Hundred Fifteen only) for the year 2022-23 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, as per Rule 10 (1A) of NH Fee Rule 2008 and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
8. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
9. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/HQ/InvIT/TollFeeNotification/22-23/01]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.